अकादमी तम्बाकू एवं
प्लास्टिक निषेध क्षेत्र है।

मुद्रक : अंकित प्रिन्टर्स, जयपुर

Rajasthan Police Academy

सत्यमेव जयते

Security Justice & Peace

किशोर न्याय व्यवस्था एवं पुलिस की भूमिका

मार्गदर्शिका

राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

किशोर न्याय व्यवस्था
एवं
पुलिस की भूमिका

राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

मार्गदर्शन
हेमन्त प्रियदर्शी, IPS
अति. महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
मनीष अग्रवाल, IPS
उपनिदेशक एवं प्राचार्य
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

सम्पादन
सुमन चौधरी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
धीरज वर्मा
पुलिस निरीक्षक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

लेखन
धीरज वर्मा
विश्वास शर्मा (परामर्शद)
यदुराज शर्मा (परामर्शद)
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

प्रकाशन
राजस्थान पुलिस अकादमी
नेहरू नगर, जयपुर

संस्करण : 2019-20

आमुख

बच्चे अत्यन्त कोमल एवं संवेदनशील होते हैं। दुर्भाग्य से बच्चे कई बार समाज में अवांछनीय व्यवहारों का सामना करते हैं जो मानवीय गरिमा व बाल अधिकारों के अनुकूल नहीं होते। भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाये हैं। जिनकी पालना सुनिश्चित कराना पुलिस का दायित्व है। अतः जरूरी होता है कि पुलिस इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्यवाहियाँ पूरी संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता से करे।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत किशोर न्याय व्यवस्था लागू की गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 पर आधारित है। इसमें बच्चों के सर्वोतम हित में न्याय व उनकी समुचित देखभाल, संरक्षा, विकास, उपचार एवं सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था की गयी हैं जिसके तहत प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई, सम्प्रेक्षण, विशेष एवं बाल गृहों एवं विभिन्न संस्थाओं का गठन किया गया है। अधिनियम के उपबंधों में बाल संरक्षण एवं विधि से संघर्षरत किशोर के अधिकार सुनिश्चित करने तथा पुलिस अधिकारियों को बाल हितैषी पुलिस बनाने के उद्देश्य से कई प्रावधान किये गये हैं।

विभिन्न प्रयासों के बावजूद बालकों के विरुद्ध अपराधों एवं विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए सर्वोतम विधिक कार्यवाहियाँ, पुनर्वास एवं इनके

अधिकारों का संरक्षण अभी भी हमारे लिए चुनौती है। इन चुनौतियों से उबरने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं अन्य हित धारकों के लिए प्रशिक्षण बहुतया कराये जाते रहे हैं एवं पाठ्य सामग्रियों का निर्माण किया जाता रहा है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर प्रकाशित यह मार्गदर्शिका भी पुलिस अधिकारियों की समझ को बेहतर बनाने में एवं बच्चों के हित में न्यायपूर्ण कार्यवाहियों में मददगार साबित होगी।

इस पुस्तक को तैयार करने के लिए मैं श्रीमती सुमन चौधरी, सहायक निदेशक (सीडीपीएसएम), आर.पी.ए., जयपुर एवं उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ एवं ऐसे प्रयासों की सराहना करता हूँ।

हेमन्त प्रियदर्शी
अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

किशोर न्याय व्यवस्था एवं पुलिस की भूमिका

भारतीय संविधान बच्चों की खुशहाली के लिए किये जाने वाले कार्यों पर बल देता है तथा बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित व गरिमामय माहौल में उनके विकास के लिए अवसर और सुविधाएँ प्रदान करता है। संसद ने विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा पीड़ित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की उचित व्यवस्था करने तथा विधि से संघर्षरत किशोरों को समुचित न्याय सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक कानून किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 पारित किया था। इसलिए विद्यमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरसित करके एक व्यापक विधान को पुनः अधिनियमित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ बालक के अधिकारों के सिद्धान्तों, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों और उन बालकों जो विधि के साथ विरोधाभास में हैं, के मामलों की प्रक्रियाओं, पुनर्वास और समाज में उनके पुनःस्थापना के उपायों के प्रयास किये गये हैं। यह कानून किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के नाम से 15 जनवरी, 2016 से सम्पूर्ण देश में लागू हुआ है।

बालक कौन है ?

किशोर न्याय अधिनियम में किशोर या बच्चे को एक व्यक्ति के तौर पर परिभाषित किया है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो। इस कानून के तहत बच्चों की दो श्रेणियाँ हैं।

- विधि का उल्लंघन करने वाला बालक (Child in conflict with Law) जिसने स्थापित विधि का उल्लंघन किया है एवं जिनके विरुद्ध कोई अपराधिक कार्यवाही विचाराधीन है। धारा 2(13)

- देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक (Child in Need of Care & Protection) से ऐसा बालक अभिप्रेत है—
  - (i) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं हैं; या
  - (ii) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है; या
  - (iii) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने—
    - (क) बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है; या
    - (ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है;
    - (ग) किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी अपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या
  - (iv) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उसकी देखरेख करने में, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ हैं; या

  - (v) जिसके माता–पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है; या
  - (vi) जिसके माता–पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता–पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या
  - (vii) जो गुमशुदा या भागा हुआ है या जिसके माता–पिता, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, युक्तियुक्त जांच के पश्चात् भी नहीं मिल सके हैं; या
  - (viii) जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या
  - (ix) जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या
  - (x) जिसका पूर्णतया अयुक्तियुक्त अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या
  - (xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या अप्रभावित है; या
  - (xii) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता–पिता और कुटुंब के, सदस्यों, संरक्षकों और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है। धारा 2(14)

किशोर न्याय बोर्ड

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों की जांच, सुनवाई और निपटान के लिए प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान अधिनियम में किया गया हैं। (धारा 4)

किशोर न्याय बोर्ड की संरचना

1. बोर्ड में एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, जिसे प्रधान मजिस्ट्रेट कहा गया हो, जिनके पास तीन वर्ष का अनुभव हो, को नियुक्त किया जावेगा।
2. बोर्ड में दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम 1 महिला होगी मिलकर न्यायपीठ का गठन करेंगे।
3. बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट बोर्ड के समक्ष लम्बित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा तथा मामलों के तुरंत निपटान में ऐसे कदम उठाएगा जो आवश्यक हों।
4. किशोर न्याय बोर्ड को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
5. बाल मनोविज्ञान अथवा बाल कल्याण में विशेष ज्ञान रखने वाले या इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त मजिस्ट्रेट को बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

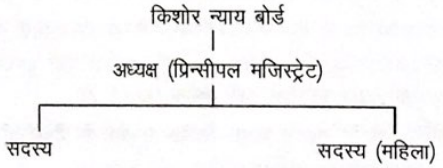

बोर्ड के सदस्य की योग्यताएँ

- किसी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बोर्ड के सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जावेगा जब ऐसा व्यक्ति कम से कम सात वर्ष तक बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा व कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों में सक्रिय रहा हो या बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत हो।
- राज्य सरकार बोर्ड के सभी सदस्यों का बालकों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, विधिक कार्यवाहियों का प्रशिक्षण नियुक्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि में करवाना सुनिश्चित करेगी;

बोर्ड के सदस्य को हटाया जाना

प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात समाप्त की जा सकेगी यदि वह सदस्य—

1. उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया जाये।
2. वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन महीनों से बोर्ड की कार्यवाहियों में उपस्थित होने में असफल रहा है।
3. वह किसी वर्ष की बैठकों में तीन चौथाई से भी कम में उपस्थित होने में असफल रहा है।
4. सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (4) के अधीन अपात्र हो जाता है।

बोर्ड के सम्बन्ध में प्रक्रिया (धारा–7)

(1) बोर्ड ऐसे समयों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विहित किए जाएं और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएँ बाल हितैषी हो और यह कि वह स्थान बालक को अभित्रास करने वाला अथवा नियमित न्यायालय के समान न हो।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बोर्ड के, जब बोर्ड की कोई बैठक न हो, किसी सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकेगा।

(3) बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थित होते हुये भी बोर्ड कार्य कर सकेगा और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश व कार्यवाहियों के किसी प्रकरण के दौरान केवल किसी सदस्य कि अनुपस्थिति के कारण ही अविधि मान्य नहीं होगी।

परन्तु मामले के अन्तिम निपटारे के समय या धारा 18 की उपधारा 3 के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम दो सदस्य जिसके अन्तर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, उपस्थित रहेंगे।

(4) बोर्ड के सदस्यों के बीच अन्तरिम या अन्तिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी, किन्तु जहाँ ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहाँ प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी।

बोर्ड की शक्तियाँ, कृत्य और उत्तरदायित्व (धारा–8)

(1) किसी जिले के लिए गठित बोर्ड को उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के अधिकारिता क्षेत्र में सभी कार्यवाहियों को निपटने की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय और बाल न्यायालय द्वारा भी तब जब कार्यवाहियाँ अपील, पुनरीक्षण में या अन्यथा धारा 19 के अधीन उसके समक्ष आती है, किया जा सकेगा।

(3) बोर्ड अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न कृत्यों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करेगा—

(क) बोर्ड की प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम पर बालक और माता–पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकारों की, बालक की निरुद्धगी, जाँच, पश्चातवर्ती देखरेख और पुनर्वासन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान, सुरक्षा हो।

(ग) बालक को, जब कभी आवश्यक हो, यदि वह कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ है, दुभाषिया या अनुवादक, जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, ऐसी फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर उपलब्ध कराना।

(ङ) परिवीक्षा अधिकारी या यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्त्ता को मामले का सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, उन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, जिनमें अभिकथित अपराध किया गया था, उसके बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किये जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश देना।

(च) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों का अधिनियम की धारा 14 में विनिर्दिष्ट जाँच की प्रक्रिया के अनुसार न्याय निर्णयन और निपटारा करना।

(छ) विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित बालकों से, जिनके बारे में यह कथन किया गया है कि किसी प्रक्रम पर देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, संबंधित मामलों को इसके द्वारा इस बात को मानते हुए कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक देखरेख का जरूरतमंद बालक हो सकता है समिति को भी उसमें शामिल होने की जरूरत है, समिति को अंतरित करना।

(ज) मामले का निपटारा करना और अंतिम आदेश पारित करना जिसके अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षक एकक या किसी गैर सरकारी संगठन के सदस्य, जैसे अपेक्षा की जाए, द्वारा कार्यवाही करना भी शामिल है।

(झ) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखरेख के बारे में "योग्य व्यक्ति" घोषित करने के लिए जाँच करना।

(ञ) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक मास कम से कम एक निरीक्षण दौरा करना और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला बालक संरक्षण एकक और राज्य सरकार को कारवाई की सिफारिश करना।

(ट) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध, कारित अपराध के संबंध में, इस बारे में की गई किसी शिकायत पर, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश देना।

(ठ) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किसी बालक के विरुद्ध कारित अपराधों के संबंध में, इस बारे में समिति द्वारा लिखित शिकायत पर, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश देना।

(ड) इस बात की जाँच करने के लिए क्या जेलों में कोई बालक रखा गया है, उन जेलों का जो वयस्कों के लिए है, नियमित निरीक्षण करना और ऐसे बालक को संप्रेक्षण गृह में स्थानान्तरित किए जाने के तत्काल उपाय करना।

(ढ) कोई अन्य कृत्य, जो विहित किया जाए।

विधि से संघर्षरत बालकों के संबंध में प्रक्रिया

विधि से संघर्षरत किशोर के मामले में पुलिस अधिकारी की भूमिका

विधि से संघर्षरत किशोर की निरुद्धगी (धारा 10)

1. विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को जैसे ही पुलिस द्वारा निरुद्ध किया जावें, उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. संबंधित परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किशोर की सामाजिक रिपोर्ट जिसमें, सामाजिक पृष्ठभूमि, आय के साधन, शिक्षा, अभिभावक, संरक्षक के सामाजिक स्तर इत्यादि के आधार पर तैयार की जाएगी। विधि से संघर्षरत किशोर के सह समूह की पृष्ठभूमि को भी सामाजिक रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है जो कि बोर्ड के जांच कार्य में सहायक हो।
3. अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार विधि से संघर्षरत किशोर को 24 घण्टे (यात्रा समय को छोड़कर) के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
4. बाल कल्याण अधिकारी प्रत्येक किशोर की केस डायरी में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उसे जिन परिस्थितियों में पकड़ा गया है एवं अभिकथित अपराध के अभिलेख भी लेगा जिन्हें वह तत्काल बोर्ड को भेजेगा।
5. बोर्ड द्वारा अपनी बैठकें आयोजित न करने की दिशा में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
6. जब किशोर को बोर्ड के किसी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त किये जाते हैं तब ऐसे आदेश को बोर्ड की अगली बैठक में अनुसमर्थन कराने की आवश्यकता होगी।
7. परन्तु देर रात्रि के समय बच्चे को बोर्ड के सदस्य के सम्पर्क नहीं होने की स्थिति में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रखा जा कर अगले दिन बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

8. बाल कल्याण अधिकारी किशोर को चिकित्सा सहायता, भोजन, दुभाषिया की सहायता जैसी समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवायेगा।
9. किसी भी मामले में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को पुलिस किसी भी दशा में उसे हवालात में नहीं रखेगी या जेल में बन्द नहीं किया जावेगा।
10. इस अधिनियम के अनुसार किशोर या बालक के सम्पर्क में आने पर बाल कल्याण अधिकारी पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगे।
11. विधि का उल्लंघन के मामले में किशोर या बालक को हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगायी जायेगी।

ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप में विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है– (धारा–12)

(1) जब कोई ऐसे व्यक्ति, जो दृश्यमान रूप से बालक है और जिसने अभिकथित जमानतीय या अजमानतीय अपराध किया है, पुलिस द्वारा निरुद्ध किया जाता है या बोर्ड के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है, तब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को प्रतिभूत सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जायेगा या उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जायेगा।

परन्तु ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार छोड़ा नहीं जायेगा जब ये विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह सम्भाव्य है कि (अ) उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या (ब) उक्त व्यक्ति नैतिक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जायेगा या (स) उस व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। बोर्ड जमानत देने से इंकार करने के कारणों को और ऐसा विनिश्चय लेने से संबंधित परिस्थितियों को अभिलेखित करेगा।

(2) जब निरुद्ध किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता

है तब ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संप्रेक्षण गृह में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष न लाया जा सके।

(3) जब ऐसा व्यक्ति, बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब वह ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी कालवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा।

(4) जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक, जमानत के आदेश के सात दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के उपान्तरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जायेगा।

माता–पिता, संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला (धारा–13)

(1) जहाँ विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को निरुद्ध किया जाता है वहाँ उस पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस एकक या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी, जिसके पास ऐसा बालक लाया जाता है, बालक की निरुद्धगी के पश्चात् यथा शीघ्र—

(i) ऐसे बालक के माता–पिता या संरक्षक को, यदि उनका पता चलता है, इत्तिला देगा और उन्हें निर्देश देगा वह उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों जिसके समक्ष बालक को पेश किया जायेगा; और

(ii) परिवीक्षा अधिकारी को, या यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को 2 सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, जिसमें बालक के पूर्ववृत्त और कौटुम्बिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी शामिल होगी, जिनके बारे में सम्भाव्य है कि वे जांच करने में बोर्ड के लिए सहायक होगी, तैयार करने और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए इत्तिला देगा।

(2) जहाँ बालक को जमानत पर छोड़ दिया जाता है वहाँ बोर्ड द्वारा परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को इत्तिला दी जायेगी।

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच–(धारा–14)

1. जहाँ विधि का उल्लंघन करने वाला बालक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहाँ बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम की धारा 17 और 18 के अधीन ठीक समझे।
2. इस धारा के अधीन कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे विस्तारण के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् दो और मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई हो, पूरी की जाएगी।
3. बोर्ड द्वारा, धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर पूरा किया जाएगा।
4. यदि बोर्ड द्वारा, छोटे अपराधों के लिए धारा (14) की उपधारा (2) के अधीन जांच विस्तारित अवधि के पश्चात् भी अनिर्णायक रहती है तो कार्यवाहियाँ समाप्त हो जायेंगी: परंतु घोर या जघन्य अपराधों के लिए यदि बोर्ड जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा।
5. **निष्पक्ष एवं तुरंत जांच सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाही**

(क) जांच प्रारंभ करते समय, बोर्ड यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अन्तर्गत अधिवक्ता या परिवीक्षा अधिकारी

भी है; दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो बोर्ड सुधारात्मक उपाय करेगा।

(ख) इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्यवाहियाँ यथासंभव साधारण ढंग से की जाएगी तथा यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा कि बालक को कार्यवाही के दौरान बाल अनुकूल वातावरण मिले।

(ग) बोर्ड के समक्ष लाये गये प्रत्येक किशोर को उसे सुने जाने का अवसर दिया जायेगा और वह जांच में सम्मिलित होगा।

(घ) छोटे अपराधों के मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा संक्षिप्त कार्यवाहियों के माध्यम से किया जाएगा।

(ङ) बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अधीन समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा।

(च) **जघन्य अपराधों की जांचः—**

(i) अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच उपधारा (5) के खंड (ङ) के अधीन बोर्ड द्वारा निपटाई जाएगी।

(ii) अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच धारा 15 के अधीन विहित रीति से की जाएगी।

बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण (धारा–15)

(1) किसी ऐसे बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दशा में, जिसने सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों के समझने की योग्यता और परिस्थितियों को, जिनमें उसने अपराध किया था, के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 के उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा।

परंतु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड, अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रायोजन के लिए स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक निर्धारण विचारण नहीं है, लेकिन ऐसे बालक के अभिकथित अपराध को कारित करने की क्षमता तथा परिणामों को समझने का निर्धारण करना है।

(2) जहाँ प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए तो बोर्ड दंड प्रक्रिया संहिता, 1971 (1974 का 2) के अधीन समन मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

परंतु बोर्ड द्वारा मामले का निपटारा किया जाने वाला आदेश अधिनियम की, धारा 101 की उपधारा (2) के अधीन अपीलीय होगा, परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन निर्धारण, धारा 14 के अधीन उल्लेखित अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

विधि का उल्लंघन किये जाने वाले बालक के बारे में आदेश (धारा–17)

(1) जहाँ बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लाए गए बालक ने कोई अपराध नहीं किया है तो किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड उस प्रभाव का आदेश पारित करेगा।

(2) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि धारा (17) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह बालक को समुचित निर्देशों के साथ समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा।

विधि का उल्लंघन करते पाये गये बालक के बारे में आदेश (धारा–18)

1. जहाँ बोर्ड को जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने, आयु को विचार में लाये बिना कोई छोटा अपराध या घोर अपराध किया है; या सोलह वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई अन्य अपराध किया

है तो अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण की विशिष्ट आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों, जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बतायी गई हैं, और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो वह—

(क) बालक की, समुचित जांच करने के पश्चात् और ऐसे बालक, तथा उसके माता–पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात् उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् घर जाने के लिए आदेश कर सकेगा।

(ख) बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निर्देश दे सकेगा।

(ग) बालक की किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किये गये विशेष व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा।

(घ) बालक या बालक के माता–पिता या संरक्षक को जुर्माने का संदाय करने आदेश दे सकेगा,

परन्तु यदि बालक कार्यरत है तो वह यह सुनिश्चित कर सकेगा कि किसी श्रम विधि के उपबन्धों का उल्लंघन न हुआ हो।

(ङ) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता–पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निर्देश, ऐसे माता–पिता संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बोर्ड की अपेक्षानुसार प्रतिभू सहित या रहित तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बंधपत्र निष्पादित किये जाने पर, दे सकेगा।

(च) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचरण और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी सुविधा उपयुक्त तन्त्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का निर्देश तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए दे सकेगा।

(छ) बालक को तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, सुधारात्मक सेवायें, जिनके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देने, आचरण उपान्तरण चिकित्सा के लिए और

विशेष गृह में ठहरने की कालावधि के दौरान मनोचिकत्सीय समर्थन देना भी है, विशेष गृह में भेजने का निर्देश दे सकेगा;

परन्तु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में नहीं होगा तो बोर्ड, ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (छ) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तो बोर्ड—

(i) विद्यालय में हाजिर होने;

(ii) किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में हाजिर होने;

(iii) किसी चिकित्सा केन्द्र में हाजिर होने;

(iv) किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बार–बार जाने या हाजिर होने से बालक को प्रतिसिद्ध करने; या

(v) व्यसन मुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने, का अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा

(3) जहाँ बोर्ड, धारा 15 के अधीन प्रारम्भिक निर्धारण करने के पश्चात् यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का, वयस्क के रूप में और विचारण करने की आवश्यकता है वहाँ बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराधों के विचारण की अधिकारिता वाले बाल न्यायालय को अंतरित करने का आदेश दे सकेगा।

बाल न्यायालय (धारा–19)

अधिनियम की धारा 15 के अधीन बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त होने के पश्चात् बाल न्यायालय यह विनिश्चत कर सकेगा कि वयस्क के रूप में बालक के विचारण और इस धारा तथा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुये बालक की विशेष जरूरतों, निष्पक्ष विचारण के सिद्धान्तों तथा बाल अनुकूल वातावरण बनाये रखने पर विचार करते हुए, विचारण के पश्चात् समुचित आदेश पारित करने की आवश्यकता है; या वयस्क के रूप में बाल विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है और बोर्ड के रूप में जांच की जा

सकती है तथा धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार समुचित आदेश पारित किये जा सकते हैं।

विधिक सहायता

बोर्ड जांच प्रक्रिया के दौरान परामर्श एवं निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकारों के प्रावधानों को ध्यान में रखेगा।

1. बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के विधि अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सभी किशोरों को निःशुल्क विधिक सहायता सेवाऐं करेंगे।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के विधि अधिकारियों का यह दायित्व होगा की वे बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर अपनी विधिक सेवाऐं प्रदान करें।
3. राज्य विधिक सहायता सेवा के समर्थन में कमी होने पर बोर्ड का यह दायित्व होगा कि वह मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक विधि सेवा संगठनों अथवा विश्वविद्यालयों के विधि सेवा क्लिनिकों से विधिक सेवाऐं प्राप्त करें।
4. बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के माता–पिता से सम्पर्क करने तथा उन किशोरों के विषय में सामाजिक एवं पुनर्वासात्मक सूचना प्राप्त करने जैसे अर्द्धविधिक कार्यों के लिये छात्र विधिक सेवा स्वयंसेवियों और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवियों को अभिनियोजित कर सकेगा।

आदेश, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित न किया जा सकेगा (धारा–21)

विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की सम्भावना के बगैर मृत्यु या आजीवन कारवास का दण्डादेश नहीं दिया जायेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन की कार्यवाही का बालक के विरुद्ध लागू न होना (धारा–22)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में या किसी निरोध निवारक विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध

उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।

किशोर और वयस्क की संयुक्त कार्यवाही नहीं की जा सकेगी (धारा–23)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 223 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को उस व्यक्ति के साथ, जो किशोर नहीं है, किसी अपराध के लिए विचारित या आरोपित नहीं किया जायेगा और संयुक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।

यदि बोर्ड द्वारा या बाल न्यायालय द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह बालक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का किसी बालक के साथ विचारण नहीं किया जायेगा।

दोष सिद्धी से संबंधित अभिलेखों का हटाना (धारा–24)

एक किशोर जिसने अपराध कारित किया और उसके विरुद्ध इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है, बोर्ड यह निर्देशित करते हुए एक आदेश करेगा कि उस दोषसिद्धी से संबंधित अभिलेखों को अपील की अवधि या पर्याप्त अवधि, जिसे नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाये, जो भी स्थिति हो, के समाप्ति के पश्चात् हटा दिया जायेगा।

परन्तु जघन्य अपराध के मामले में, जहाँ बालक धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन विधि के उल्लंघन में होना पाया जाता है, ऐसे बालक की दोषसिद्धी के संगत अभिलेखों को बाल न्यायालय द्वारा संधारित किया जाएगा।

लम्बित मामलों के बारे में विशेष उपबंध (धारा–25)

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियाँ उस बोर्ड या न्यायालय में वैसे ही जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है।

विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक के सम्बन्ध में उपबंध (धारा–26)

(1) कोई पुलिस अधिकारी, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार ले सकेगा जो विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था की देखरेख से, जिसके अधीन उस बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा गया था, भगोड़ा हो गया है।

(2) बालक को, चौबीस घंटे के भीतर उस बोर्ड के समक्ष, जिसने उस बालक की बाबत् मूल आदेश पारित किया गया था, यदि संभव हो, या उस निकटतम बोर्ड के समक्ष जहाँ बालक पाया जाता है पेश किया जायेगा।

(3) बोर्ड, बालक के निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा और बालक को उस संस्था या उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से बालक भाग निकला था, या वैसे ही किसी अन्य स्थान या व्यक्ति को, जिसे बोर्ड ठीक समझे वापस भेजे जाने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा :

परन्तु बोर्ड किन्हीं विशेष उपायों, जो बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझे जाएं, अतिरिक्त निर्देश भी दे सकेगा।

(4) ऐसे बालक के बारे में कोई अतिरिक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों हेतु संस्थाऐं

संप्रेक्षण गृह–(धारा–47)

(1) राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिला या जिलों के समूह में संप्रेक्षण गृह स्थापित करेगी और उनका रखरखाव करेगी जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक को अस्थायी रूप से रखने, उसकी देखरेख और पुनर्वास के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया हो।

(2) जहाँ राज्य सरकार की यह राय कि उपधारा (1) के अधीन स्थापित या अनुरक्षित किसी गृह से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था, इस अधिनियम

के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित ऐसे बालक को अस्थायी रूप से रखने के योग्य है, तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था को संप्रेक्षण गृह के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा संप्रेक्षण गृहों के प्रबंध और मानीटरी के लिए उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक के पुनर्वास और उसको समाज में मिलाने के लिए उनको द्वारा दी गई सेवाओं का स्तर और विभिन्न किस्में तथा ऐसी परिस्थितियां, जिनके अधीन किसी संप्रेक्षण गृह का रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया और वापस लिया जा सकेगा।

(4) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित प्रत्येक ऐसे बालक को, जो माता या पिता, संरक्षक के भारसाधन में नहीं रखा जाता है और किसी संप्रेक्षण गृह में भेजा जाता है, बालक की शारीरिक और मानसिक स्थिति और अपराध की गंभीरता पर विचार करने के पश्चात् बालक की आयु और लिंग के अनुसार उसे अलग रखा जाएगा।

विशेष गृह (धारा–48)

(1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में, जो विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित हों, जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है और जो किशोर न्याय बोर्ड के धारा 18 के अधीन किए गये आदेश द्वारा वहाँ पर रखे गए हैं, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विशेष गृह स्थापित करेगी और उनका रखरखाव करेगी, जो उस रूप में ऐसी रीति में रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे, जो विहित की जाए।

(2) राज्य सरकार, विशेष गृहों के प्रबंध और मॉनीटरी के लिए नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा दी गई सेवाओं के स्तर और विभिन्न किस्में, जो किसी बालक को समाज में पुनः मिलाने के लिए आवश्यक हैं और वे परिस्थितियाँ, जिनके अधीन और वह विशेष गृह रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया और वापस लिया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों में विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालकों की आयु, लिंग, उनके द्वारा कारित अपराध की प्रकृति और बालक की मानसिक और शारीरिक स्थिति के आधार पर उन्हें पृथक् रखने के उपबंध भी किए जा सकेंगे।

सुरक्षित स्थान (धारा–49)

(1) राज्य सरकार, धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी जिससे अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को, जो सोलह से अठारह वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है या सिद्धदोष ठहराया गया है रखा जा सके।

(2) प्रत्येक सुरक्षित स्थान में जांच की प्रक्रिया के दौरान ऐसे बालकों या व्यक्तियों के और कोई अपराध कारित करने के दोषसिद्ध बालकों या व्यक्तियों के ठहरने के लिए अलग से प्रबंध और सुविधाएँ होंगी।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्वारा उस प्रकार के स्थानों को, जिन्हें उपधारा (1) के अधीन सुरक्षित स्थान के रूप में अभिहित किया जा सकता है और उन सुविधाओं और सेवाओं को जिनका उसमें उपबंध किया जाए, सुनिश्चित कर सकेगी।

विधि से संघर्षरत किशोर के संबंध में कार्यवाही करते समय पुलिस द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है

1. बालकों से पूछताछ गोपनीय एवं अनुकूल एवं बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण में की जानी चाहिए।
2. आवश्यकतानुसार किशोर को आवश्यक मूलभूत सुविधाऐं, दुभाषिया उपलब्ध कराए जाएंगे।
3. किशोर को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा, बालिकाओं के संबंध में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही करवाई की जाएगी।
4. प्रश्न पूछने के दौरान किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य नहीं करेंगे जिससे किशोर या बालक को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक क्षति पहुँचे।

5. अधिकारी को किशोर के प्रति सम्मान एवं समझदारी दिखाते हुए यह दर्शाना चाहिए कि वह उसका सर्वोतम हित चाहता है।
6. विधि से संघर्षरत किशोर का रिकॉर्ड गोपनीय रखा जायेगा।
7. किशोर को तुरंत उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया जायेगा।
8. इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किशोर के मन में यह बात न आए कि उसे चोर या झूठे व्यक्ति के रूप में पकड़ कर पूछताछ की जा रही है, अपितु उसे यह लगना चाहिए कि अधिकारी सच जानने का प्रयास कर रहा है।
9. किशोर को किसी भी स्थिति में प्रतिपक्ष/अन्य व्यक्तियों (जिससे किशोर को खतरे की संभावना हो) के सम्पर्क में नहीं आने दिया जाएगा।
10. विधि का उल्लंघन व देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे को यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घण्टे के भीतर पुलिस स्टेशन से संबंधित बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
11. किसी भी बालिका को सूर्यास्त बाद एवं सूर्योदय पूर्व हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

बाल कल्याण समिति

राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के सम्बन्ध में बाल कल्याण समिति का गठन किये जाने का प्रावधान किया है। अधिनियम की धारा 27 में समिति के कर्त्तव्यों एवं शक्तियों को परिभाषित किया गया है।

देखभाल और संरक्षण का जरूरतमंद बालक

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से तात्पर्य ऐसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से है जो—

(i) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं है; या

(ii) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख माँगते या वहाँ रहते पाया जाता है; या

(iii) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने—

(क) बालक को क्षति पहुंचायी है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है; या

(ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुँचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है;

(ग) किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनकी उपेक्षा या शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किये जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किये जाने की युक्तियुक्त संभावना है।

(iv) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीडित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है या जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उसकी देखरेख करने में यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ है; या

(v) जिसके माता–पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है; या

(vi) जिसके माता–पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता–पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या

(vii) जो गुमशुदा या भागा हुआ है या जिसके माता–पिता, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, युक्तियुक्त जांच के पश्चात् भी नहीं मिल सके है; या

(viii) जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(ix) जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या

(x) जिसका पूर्णतया अयुक्तियुक्त अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है; या

(xii) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का जोखिम है और जिसके माता–पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षकों और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठान के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है।

बाल कल्याण समिति की संरचना (धारा–27)

- समिति में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी और दूसरा अन्य बालकों से सम्बन्धित विषयों का विशेषज्ञ होगा।
- किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति, कम से कम सात वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याणकारी संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से शामिल न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोविकृति–विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या समाजविज्ञान अथवा मानव विकास में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी न हो।
- किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास ऐसी अर्हताएँ न हों, जो निर्धारित की जाएँ।
- किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

- जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकरण का तिमाही पुनर्विलोकन करेगा।
- समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

समिति के सदस्यों को हटाया जाना

समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात् समाप्त की जा सकेगी, यदि—

1. उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया जाये।
2. उसे नैतिक अधमता सहित अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो और ऐसी दोषसिद्धी को उलटा नहीं किया गया हो।
3. वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन महिनों से समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित होने में असफल रहा है या एक वर्ष में कम से कम तीन–चौथाई बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहा है।

समिति के संबंध में प्रक्रिया (धारा–28)

(1) समिति, एक मास में कम से कम बीस बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में अपने कार्यों से सम्बन्धित ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी, जो निर्धारित की जाएँ।

(2) समिति द्वारा, किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्था का, उसके कार्यकरण की जांच पड़ताल करने और बालकों की भलाई के लिए किया गया दौरा समिति की बैठक के रूप में माना जाएगा।

(3) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को बालगृह में या उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने के लिए, जब समिति सत्र में न हो, समिति के एक सदस्य के सामने पेश किया जा सकेगा।

(4) किसी निर्णय के समय समिति के सदस्यों के बीच राय की किसी भिन्नता की दशा में, बहुमत की राय मान्य होगी, किंतु जहाँ ऐसा बहुमत नहीं है वहाँ अध्यक्ष की राय मान्य होगी।

(5) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति, समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थिति रहते हुए भी कारवाई कर सकेगी और समिति

द्वारा किया गया कोई आदेश, कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा परन्तु मामले के अंतिम निपटान के समय कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे।

समिति की शक्तियाँ (धारा–29)

(1) समिति को, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की देखरेख संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटारा करने और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण के लिए उपबंध करने का प्राधिकार होगा।

(2) जहाँ किसी क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है, वहाँ किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, ऐसी समिति की, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों से संबंधित इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के संबंध में अनन्यतः कार्य करने की शक्ति होगी।

समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व (धारा–30)

समिति के कृत्यों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(i) उसके समक्ष पेश किए गऐ बालकों का संज्ञान लेना और उन्हें ग्रहण करना।

(ii) इस अधिनियम के अधीन बालकों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित और उसको प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों की जांच करना।

(iii) बाल कल्याण अधिकारियों या परिवीक्षा अधिकारियों या जिला बालक संरक्षण एकक या गैर–सरकारी संगठनों को सामाजिक अन्वेषण करने और समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना।

(iv) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की देखरेख करने हेतु "योग्य व्यक्ति" की घोषणा के लिए जांच करना।

(v) पोषण देखरेख के लिए किसी बालक के स्थापन का निर्देश देना।

(vi) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की देखरेख, संरक्षण, समुचित पुनर्वास या प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करना और इस

संबंध में माता–पिता या संरक्षक या योग्य व्यक्ति या बालगृहों या सुविधा उपयुक्त तंत्र के लिए आवश्यक निर्देश पारित करना।

(vii) संस्थागत सहायता की अपेक्षा वाले प्रत्येक बालक के स्थान के लिए, बालक की आयु, लिंग, योग्यता और आवश्यकताओं पर आधारित तथा संस्था की उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकृत संस्था का चयन करना।

(viii) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक मास में कम से कम दो बार निरीक्षण दौरा करना और जिला बालक संरक्षण एकक और राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कारवाई करने की सिफारिश करना।

(ix) माता–पिता द्वारा समर्पित विलेख के निष्पादन को प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें विनिश्चय कर पुनः विचार करने और कुटंब को एक साथ रखने हेतु सभी प्रयास करने का समय दिया गया है।

(x) यह सुनिश्चित करना कि ऐसी निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए परित्यक्त या खोए हुए बालकों का, उनके कुटुंबों को प्रत्यावर्तन करने के लिए सभी प्रयास करने का समय दिया गया है।

(xi) ऐसे अनाथ परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक की घोषणा करना जो सम्यक जांच के पश्चात् दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त है।

(xii) मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना और ऐसे देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों तक पहुँचाना, जिन्हें समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया है, परन्तु ऐसा विनिश्चय कम से कम तीन सदस्यों द्वारा लिया गया हो।

(xiii) लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार से ग्रस्त ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए कार्यवाही करना जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन, विशेष किशोर पुलिस एकक या स्थानीय पुलिस द्वारा समिति को देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के रूप में रिपोर्ट किये गये हैं।

(xiv) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों में कारवाई करना।

(xv) जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार के समर्थन से बालकों की देखरेख और संरक्षण में शामिल पुलिस, श्रम विभाग और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय बनाना;

(xvi) समिति, किसी बालक की देखरेख संस्था में किसी बालक के दुर्व्यवहार की शिकायत के मामले में जांच करेगी और यथास्थिति, पुलिस या जिला बालक संरक्षण एकक या श्रम विभाग या बालबद्ध सेवाओं को निर्देश देगी।

(xvii) बालकों के लिए समुचित विधिक सेवाओं तक पहुँच बनाएगी और

(xviii) ऐसे अन्य कृत्य और दायित्व जो विहित किए जाए सुनिश्चित करेगी।

समिति के समक्ष बालक को पेश करना (धारा–31)

(1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को समिति के समक्ष निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

(i) कोई पुलिस अधिकारी अथवा विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई या श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा;

(ii) कोई लोक सेवक द्वारा;

(iii) चाइल्ड लाईन, पंजीकृत संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य स्वैच्छिक संगठन अथवा अभिकरणों द्वारा;

(iv) बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा;

(v) सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त कोई नागरिक द्वारा;

(vi) स्वयं बालक द्वारा या

(vii) किसी नर्स, डॉक्टर, परिचर्या गृह (नर्सिंग होम), अस्पताल या प्रसूति गृह के प्रबन्धक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

परन्तु बालक को समय की हानि के बिना 24 घण्टे भीतर यात्रा समय को छोड़कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

संरक्षक से पृथक पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना (धारा–32)

(1) कोई व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या परिचर्या गृह या अस्पताल या प्रसूति गृह का कोई कार्यकर्त्ता, जिसे किसी ऐसे बालक का पता चलता है या उसका भार साधन लेता है या जिसे वह सौंपा जाता है जो परित्यक्त या खोया हुआ प्रतीत होता है या जिसके बारे में परित्यक्त या खोए होने का दावा किया जाता है या ऐसा बालक जो बगैर कुटुंब समर्थन के अनाथ प्रतीत होता है या जिसके अनाथ होने का दावा किया जाता है, चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा के लिए समय को छोड़कर), बालबद्ध सेवाओं, निकटतम पुलिस थाने को या किसी बालक कल्याण समिति को या जिला बालक संरक्षक एकक को इत्तिला देगा या बालक को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था का सौंपेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बालक के संबंध में इत्तिला को अनिवार्य रूप से ऐसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार या समिति या जिला बालक संरक्षक एकक या बालक देखभाल संस्था द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

रिपोर्ट न करने का अपराध (धारा–33)

यदि उपरोक्त धारा 32 के अधीन अपेक्षित किसी बालक के संबंध में कोई सूचना उक्त धारा में निर्धारित अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो ऐसे कृत्य को अपराध के रूप में माना जाएगा।

रिपोर्ट न करने के लिए शास्ति (धारा–34)

कोई व्यक्ति जिसने धारा 33 के अधीन कोई अपराध किया है वह ऐसे कारावास के जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपयें तक के जुर्माने का या दोनों का भागी होगा।

बालकों का अभ्यर्पण (धारा–35)

(1) कोई माता–पिता या संरक्षक, जो ऐसे शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक कारणों से, जो उसके नियंत्रण के परे है, बालक का अभ्यर्पण करना चाहता है, बालक को समिति के समक्ष पेश करेगा।

(2) यदि, जांच और परामर्श की निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात् समिति का समाधान हो जाता है तो, माता–पिता या संरक्षक द्वारा समिति के समक्ष अभ्यर्पण विलेख निष्पादन किया जाएगा।

(3) ऐसे माता–पिता या संरक्षक को, जिसने बालक का अभ्यर्पण किया है, बालक के अभ्यर्पण संबंधी अपने विनिश्चय पर पुनः विचार करने के लिए दो मास का समय दिया जाएगा और अंतरिम अवधि में समिति, सम्यक् जांच के पश्चात् या तो बालक को माता–पिता या संरक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन रखेगी या यदि वह छह वर्ष से कम आयु का या की है तो वह बालक की किसी विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में रखेगी या यदि वह छह वर्ष से अधिक आयु का या की है तो बाल गृह में रखेगी।

समिति द्वारा जाँच (धारा–36)

(1) धारा 31 के अधीन बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समिति, निर्धारित रीति से जांच करेगी और अपनी स्वयं की या धारा 31 के उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बालगृह या आश्रय गृह या सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी:

परन्तु छह वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को, जो अनाथ और अभ्यर्पित हैं या परित्यक्त प्रतीत होते हैं, विशेषज्ञता प्राप्त दत्तक प्राप्त अभिकरण में, जहाँ उपलब्ध है, रखा जाएगा।

(2) सामाजिक अन्वेषण पंद्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा जिससे समिति को, बालक को पहली बार पेश करने के चार मास के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके:

परन्तु अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों के लिए जांच पूरी करने का समय वह होगा जो अधिनियम की धारा 38 में निर्धारित किया गया है।

(3) जांच पूरी हो जाने के पश्चात्, यदि समिति की यह राय है कि उक्त बालक का कोई कुटुंब या उसका कोई सहारा नहीं है या उसे देखरेख या संरक्षण की लगातार आवश्यकता है तो वह तब तक बालक को, यदि बालक छह वर्ष से कम आयु का है तो विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में, बाल गृह में या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब के पास भेज सकेगी जब तक बालक के लिए ऐसे पुनर्वास उपयुक्त साधन नहीं मिल जाते, या जब तक बालक अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है:

परन्तु बाल गृह में अथवा उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब में रखे गए बालक की स्थिति का समिति द्वारा ऐसा पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(4) समिति, जिला मजिस्ट्रेट को लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए, मामलों के निपटारे की प्रकृति पर और लंबित मामलों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (4) के अधीन पुनर्विलोकन करने के पश्चात् समिति को, लंबित मामलों को दूर करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय, यदि आवश्यक हो, करने का निर्देश देगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा जो अतिरिक्त समितियों का गठन, यदि अपेक्षित हो, करवा सकेगी:

परन्तु यदि ऐसे निर्देशों के प्राप्त होने के तीन मास के पश्चात् भी समिति द्वारा लंबित मामलों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार, उक्त समिति को समाप्त कर देगी और नई समिति का गठन करेगी।

(6) समिति की समाप्ति के पूर्वानुमान में और इस बात को देखते हुए कि नई समिति के गठन में कोई समय बर्बाद न हो, राज्य सरकार, समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों का एक स्थायी पैनल बनाए रखेगी।

(7) उपधारा (5) के अधीन नई समिति के गठन में हुए किसी विलंब की दशा में, पास के जिले की बालक कल्याण समिति, अंतरिम कालावधि के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी।

देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के बारे में पारित आदेश (धारा–37)

(1) समिति, जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाया गया बालक देखरेख ओर संरक्षण के लिए जरूरतमंद है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करके और यदि बालक विचार प्रकट करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आदेशों में से एक या अधिक आदेश पारित कर सकेगी, अर्थात्:

(क) बालक के देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद होने की घोषणा;

(ख) माता–पिता या संरक्षक या कुटुंब को, बालक कल्याण अधिकारी या पदाभिहित सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन या उसके बगैर बालक का प्रत्यार्वतन;

(ग) ऐसे बालकों को रखने के लिए संस्था की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक या अस्थायी देखभाल के लिए दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए या तो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के पश्चात् कि बालक के कुटुंब का पता नहीं लगाया जा सकता है या यदि उसका पता लग भी गया हो कुटुंब में बालक का प्रत्यार्वतन, बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, बाल गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में बालक का स्थानन;

(घ) दीर्घकालिक या अस्थायी देखरेख के लिए "योग्य व्यक्ति" के पास बालक का स्थानन;

(ङ) धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के आदेश;

(च) धारा 45 के अधीन प्रयोज्यकता (Sponsorship) के आदेश;

(छ) ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं या सुविधा क्षेत्रों को, जिनकी देखरेख में बालक को, बालक की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के संबंध में रखा गया है, जिनके अंतर्गत जरूरत आधारित परामर्श, व्यावसायिक चिकित्सा या व्यवहार उपांतरण चिकित्सा, कौशल प्रशिक्षण, विधिक सहायता, शैक्षणिक सेवाओं और यथा अपेक्षित अन्य

विकासात्मक क्रियाकलापों और जिला बालक कल्याण एकक या राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्तन और समन्वय सहित तत्काल आश्रय और सेवाओं से, जैसे कि चिकित्सा देखरेख मनोविकार चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता संबंधी निर्देश भी हैं किये जायेंगे।

(ज) बालक की, धारा 38 के अधीन दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा की जावेगी।

(2) समिति :

(i) पोषण देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति की घोषणा; और

(ii) धारा 46 के अधीन पश्चात् देखरेख सहायता प्राप्त करने के लिए;

(iii) किसी अन्य कृत्य के संबंध में जो निर्धारित किया जाए कोई अन्य आदेश करने के लिए, भी आदेश पारित कर सकेगी।

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के मामलों में पुलिस अधिकारी की भूमिका

जब कोई देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक किसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में पाया जाता है, तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जावेगी।

1. बालकों से पूछताछ एवं उसका बयान सावधानीपूर्वक उसके माता–पिता एवं परिजनों के समक्ष लिया जाएगा।
2. बालकों से उसके घर या सम्प्रेक्षण या बालगृह या कोई अन्य उपयुक्त स्थान पर ही पूछताछ की जायेगी किसी भी परिस्थिति में थाने पर पूछताछ नहीं की जायेगी।
3. बच्चे का नाम, मय विस्तृत विवरण (जिन कारणों से इस परिस्थितियों में है) का दैनिक डायरी (रोजनामचा) में दर्जा किया जाएगा।
4. परन्तु देर रात्रि के समय बच्चे को समिति के सदस्य से सम्पर्क नहीं होने की स्थिति में राजकीय एवं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित बाल गृह में रखा जाएगा तथा अगले दिन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

5. गुमशुदा बच्चों से संबंधित समस्त सूचना गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट (एम. पी.आर.) में दर्ज की जायेगी। इसकी प्रति संबंधित जिले की बाल कल्याण समिति को भी अनिवार्यता से प्रेषित की जाकर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत जायेगा।
6. गुमशुदा बच्चों से संबंधित समस्त सूचना मय फोटो ZIPNET (जिपनेट) पर प्रकाशित की जायेगी। पुलिस मुख्यालय स्थित गुमशुदा प्रकोष्ठ को भेजनी होगी।
7. बालिका के साथ डील करते समय देखरेख एवं आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जायेगा। ऐसी बालिकाओं को महिला पुलिस के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
8. वेश्यावृत्ति, बलात्कार, यौन उत्पीड़न एवं बच्चों के शारीरिक अंगों का व्यापार के शिकार देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के मामलों में त्वरित जांच एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिलो में गठित मानव तस्करी विरोधी यूनिट के सहयोगसे अनैतिक कार्यों में लिप्त एवं अन्य काम के लिये लाये गये बच्चों को मुक्त कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
9. अनैतिक कार्यों के लिए मानव तस्करी संबंधित अधिनियम के तहत आने वाली बालिकाओं को दोषी माने जाने के स्थान पर उन्हें गरिमा के साथ देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखकर बाल कल्याण समिति के माध्यम से पुनर्स्थापित किया जाएगा।
10. यौन शोषण व उत्पीड़न से पीड़ित बच्चे के मामलों को अधिक संवेदनशील के साथ डील किया जाएगा।
11. पुलिस को मिलने वाले नवजात शिशु या बच्चों के अज्ञात माता–पिता पर कानून के अन्तर्गत मामले को दर्ज करेगी। नवजात शिशु या बच्चे को तुरन्त चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर बाल कल्याण समिति को तुरन्त सूचित करेंगे।
12. देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता के लिए पुलिस को मिले मानसिक रूप से निःशक्त बच्चे की राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकीय जांच करवा कर उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यह सुनिश्चित होने के पश्चात् कि जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई में

रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, समिति के आदेशानुसार उन्हें मानसिक विमन्दित गृह या बाल गृह में भेजा जायेगा।

13. बालश्रम से मुक्त कराये गये बालकों को बाल कल्याण अधिकारी दैनिक डायरी में विस्तृत विवरण दर्ज कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेंगे।
14. पुलिस ऐसे बच्चों के मामलों में जिले में संचालित चाइल्ड लाइन सेवा (1098) एवं जिले में गठित जिला बाल संरक्षण इकाई से भी आवश्यकतानुसार सहायता ले सकती है।
15. सभी पीड़ित बच्चों के तत्काल भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान लिये जायेंगे।

बालकों के विरुद्ध अपराध

बालक की पहचान प्रकटन का प्रतिषेध (धारा–74)—(1) किसी जाँच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार पत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य–श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्ट को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक या किसी बाल पीड़ित या किसी अपराध के साक्षी की, जो विधि के अधीन ऐसे मामले में शामिल है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा।

परन्तु, यथास्थिति जाँच करने वाला बोर्ड या समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे कारणों से तब आज्ञा दे सकेगी, जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

(2) पुलिस, चरित्र प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी अभिलेख का, ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी जहाँ कि मामला बन्द किया जा चुका हो या उसका निपटारा किया जा चुका हो।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड (धारा–75)—जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर ऐसी रीति से, जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होना संभाव्य हो, हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उसे उच्छन्न करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा या उस पर हमला किया जाना, उसका परित्याग, उत्पीड़न, उच्छन्न या उसकी उपेक्षा कारित करेगा या ऐसा किए जाने के लिए उसे उपाप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा,

परन्तु उस मामले में जहाँ यह पाया जाता है कि जैविक माता–पिता द्वारा बालक का ऐसा परित्याग, उन परिस्थितियों के कारण है जो उनके नियंत्रण के बाहर है, यह माना जाएगा कि ऐसा परित्याग, जानबूझकर नहीं है तथा इस धारा के दाण्डिक उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे;

परन्तु यदि ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति किया जाता है, जो किसी संगठन द्वारा नियोजित है या उसका प्रबंधन कर रहा है, जिसे बालक की देखरेख और संरक्षण सौंपा गया है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः

परन्तु पूर्वोक्त क्रूरता के कारण यदि बालक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या उसे मानसिक रोग हो जाता है या वह मानसिक रूप से नियमित कार्यों को करने में अयोग्य हो जाता है या उसके जीवन या अंग को खतरा होता है ऐसा व्यक्ति कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पाँच लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

भीख माँगने के लिए बालक का नियोजन (धारा–76)—(1) जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करेगा या किसी बालक से भीख मंगवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडनीय होगाः

परन्तु यदि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति बालक का अंगोच्छेदन करता है या उसे विकलांग बनाता है तो वह कारावास से, जो सात वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पाँच लाख रुपये तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के कारित करने का दुष्प्रेरण करता है, वह उपधारा (1) में तथा उपबंधित शास्ति से, दंडनीय होगा और ऐसा व्यक्ति बालक की देखरेख करने के अयोग्य माना जाएगा;

परन्तु ऐसे बालक को किन्हीं परिस्थितियों में विधि का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा और ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक के भारसाधन या नियंत्रण से हटा लिया जाएगा और समुचित पुनर्वास के लिए समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

बालक को मादक लिकर या स्वापक या मनः प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति (धारा–77)—जो कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लिकर या स्वापक औषधि या तंबाकू उत्पाद या मनः प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वाक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना (धारा–78)—जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय साथ रखने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, यह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपये के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

किशोर बालक कर्मचारी का शोषण (धारा–79)—जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए बालक को लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा या उसके उपार्जनों को निर्धारित करेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं

के प्रयोजन के लिए उपयोग में लेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकेगी और एक लाख रुपये के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए "नियोजन" पद के अंतर्गत माल और सेवाओं का विक्रय और आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों में मनोरंजन करना भी आएगा।

विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तकग्रहण करने के लिए दांडिक उपाय : (धारा–80)—यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को इस अधिनियम में उपबंधित उपबंधों या प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तकग्रहण करने के प्रयोजन के लिए प्रस्थापना करता है उसे देता है या प्राप्त करता है, तो ऐसा व्यक्ति या संगठन, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगाः

परन्तु ऐसे मामले में जहाँ अपराध किसी मान्यता प्राप्त दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा किया जाता है, दत्तकग्रहण अभिकरण के भारसाधक और दिन–प्रतिदिन कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर अधिनिर्णीत उपरोक्त दंड के अतिरिक्त, ऐसे अभिकरण का धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और धारा 65 के अधीन उसकी मान्यता को भी कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वापस ले लिया जाएगा।

बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपापन (धारा–81)—ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय या क्रय करता है या उसे प्राप्त करता है, कठिन कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडनीय होगाः

परन्तु जहाँ ऐसा अपराध बालक का वास्तविक भारसाधन रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत किसी अस्पताल या परिचर्या गृह या प्रसूति गृह के कर्मचारी भी है, किया जाता है, वहाँ कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी और सात वर्ष तक की हो सकेगी।

शारीरिक दंड (धारा–82)—(1) किसी बाल देखरेख संस्था का भारसाधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति, जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दस हजार रुपये के जुर्माने से और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट संस्था में नियोजित कोई व्यक्ति, उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध होता है तो ऐसा व्यक्ति सेवा से पदच्युति का भी दायी होगा और उसे उसके पश्चात् प्रत्यक्षतः बालकों के साथ कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा।

(3) ऐसे मामले में, जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संस्था में किसी शारीरिक दंड की रिपोर्ट की जाती है और ऐसी संस्था का प्रबंध तंत्र किसी जांच में सहयोग नहीं करता है या समिति या बोर्ड या न्यायालय या राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, वहाँ ऐसी संस्था के प्रबंधतंत्र का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी और वह जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग (धारा–83)—(1) कोई गैर राज्यिक स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल, जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा उसके रूप में पहचान की गई है, यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक की भर्ती करता है या उसका उपयोग करता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और पाँच लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) कोई वयस्क या कोई वयस्क समूह, बालकों का व्यक्तिगत रूप से या किसी गैंग के रूप में अवैध कार्यकलापों के लिए उपयोग करता है

वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास का, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और पाँच लाख रुपये तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

बालक का व्यपहरण और अपहरण (धारा–84)—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 359 से 369 के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवयस्क पर लागू होंगे जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और सभी उपबंधों का अर्थान्वयन किया जाऐगा।

निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध (धारा–85)—जो कोई इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध को, किसी बालक पर, जिसे किसी चिकित्सा द्वारा इस प्रकार निःशक्त रूप में प्रमाणित किया गया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दोहरी शास्ति का दायी होगी।

अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय (धारा–86)—

(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहाँ ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और बाल न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा।

(2) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय है जो तीन वर्ष और उससे अधिक किंतु सात वर्ष से कम है, वहाँ ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानतीय होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।

(3) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध तीन वर्ष से कम अवधि के कारावास से या केवल जुर्माने से दंडनीय है, वहाँ ऐसा अपराध असंज्ञेय है, जमानतीय और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।

दुष्प्रेरण (धारा–87)—जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा। दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया कोई कृत्य या अपराध तब माना जाएगा जब

वह उकसाने के परिणामस्वरूप या षड्यंत्र के अनुसारण में या ऐसी सहायता से, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है, किया जाता है।

वैकल्पिक दंड (धारा–88)—जहाँ कोई कार्य या लोप कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम और किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहाँ ऐसी किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन ऐसे दंड का भागी होगा, जो ऐसे दंड का उपबंध करता है जो मात्रा में अधिक है।

इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा किया गया अपराध (धारा–89)—कोई बालक जो इस अध्याय के अधीन कोई अपराध करता है वह इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा।

आयु का निर्धारण एवं उपधारणा (धारा–94)

1. जहाँ बोर्ड या समिति को, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रायोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाये गये व्यक्ति के बारे में संतुष्टि है की उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथासम्भव सन्निकट आयु का कथन करते हुये ऐसे कारणों को अभिलिखित करेगा और आयु की और पुष्टि की प्रतीक्षा किये बिना धारा 14 या 36 के अधीन जांच करेगा।
2. यदि समिति या बोर्ड के पास इस सम्बन्ध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो यथास्थिति, समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य आयु की अवधारणा के संबंध में लेगा—
   (i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या
   (ii) सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मेंट्रीकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में,

   (iii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण–पत्र;
   (iv) उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारणा समिति या बोर्ड के आदेश पर कि गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारणा जांच के आधार पर किया जाएगाः

   परन्तु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारणा जांच ऐसे आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरी की जाएगी।
3. समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जायेगी।

विशेष किशोर पुलिस इकाई

विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा पीड़ित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, हेतु पुलिस अधिकारियों को समर्थ करने के लिए एवं अपने कार्य को अत्यधिक प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं थाना स्तर पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का प्रावधान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में किया गया है। विधि से संघर्षरत किशोर एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही अधिनियम एवं संगत नियमों के अनुरूप ही की जानी आवश्यक है।

संरचना एवं कार्य

अधिनियम की धारा 107 (2) में विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रावधान किया गया है।

1. विशेष किशोर पुलिस इकाई का नेतृत्व उप–पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी करेंगे।
2. विशेष किशोर पुलिस इकाई में सभी पुलिस स्टेशनों में कार्यरत सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होंगे।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार विशेष किशोर पुलिस इकाई को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दो सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाऐं उपलब्ध करायेंगे जिसमें से एक महिला होगी।
4. विशेष किशोर पुलिस इकाई के अंतर्गत बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी है।
5. विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करेगी।
6. विशेष किशोर पुलिस इकाई विधि से संघर्षरत किशोर एवं बच्चों पर हो रहे अत्याचारों, शोषण को रोकने, विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निगरानीकर्ता के रूप में काम करेगी।
7. इकाई बालकों के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान गम्भीरता से लेगी और विधि के उपबंधों में मामला दर्ज होना सुनिश्चित करेगी एवं इस परियोजनार्थ पुलिस स्टेशन की अन्य इकाईयों से सम्पर्क बनाये रखेगी।
8. विशेष किशोर पुलिस इकाई अन्य स्वयंसेवी संगठनों, पंचायतों, ग्राम सभा एवं सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर विधि से संघर्षरत बच्चों की पहचान व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों, शोषण के बारे में जानकारी जुटायेगी।
9. पुलिस थानों के सूचना पट्ट पर पुलिस अधीक्षक, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों बाल कल्याण अधिकारी के नाम, फोन नम्बर की सूचना दृश्यमान स्थान पर लगाना सुनिश्चित करेगी।

10. अवैतनिक/वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

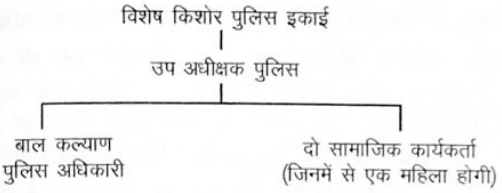

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

अधिनियम की धारा 107 (1) में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

(1) प्रत्येक पुलिस थाने में सहायक उपनिरीक्षक से अन्यून व्यक्ति के कम से कम एक अधिकारी को, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण हो और जो बच्चों से जुड़े मुद्दों पर जानकारी रखता हो, को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(2) यह अधिकारी पुलिस, स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से बालकों के साथ पीड़ितों या अपराधियों के रूप में व्यवहार करने के लिए नियुक्त किया जावेगा।

(3) उक्त अधिकारी द्वारा थाना क्षेत्र के विधि से संघर्षरत और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले देखे जायेंगे।

(4) अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि चाइल्ड हैल्प डेस्क प्रभावी ढंग से कार्य करें।

(5) अपराध कारित बालिकाओं के मामलों में महिला अधिकारी की सहायता ली जाएगी।

(6) थाने के सूचना पट्ट पर सभी बाल कल्याण अधिकारियों के अतिरिक्त जिले में गठित किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सम्प्रेक्षण, बालगृह का नाम, पता मय, दूरभाष नम्बर प्रदर्शित हों।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया

नियम 8. पेशी के पूर्व पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा की जाने वाली कारवाई—(1) जिन मामलों में बालक द्वारा किया गया जघन्य अपराध अभिकथित हो, या जब बालक द्वारा ऐसा अपराध वयस्कों के साथ सम्मिलित रूप से किए जाने का अभिकथन किया गया हो, के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रकृत नहीं की जाएगी। अन्य सभी मामलों में, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में अभिलिखित करेगा, उसके पश्चात प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और, जहां कहीं लागू हो, बालक को पकड़े जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को अग्रेषित करेगा :

परन्तु पकड़े जाने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के विषय में ही किया जाएगा, जब तक यह बालक के सर्वोत्तम हित में न हो। छोटे–मोटे और गंभीर अपराधों के अन्य मामलों में, जहां बालक के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक न हो, पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के स्वरूप की जानकारी बोर्ड को भेजेगा तथा उस बालक के माता–पिता या अभिभावकों को यह सूचित करेगा कि बालक को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत किया जाना है।

(2) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार में सौंपेगा, जो तत्काल इन सबको सूचित करेगा :

(i) बालक के माता–पिता या संरक्षण को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, और साथ ही उस बार्ड का पता बताया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी जब माता–पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है।

(ii) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हो; और

(iii) बालक को पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ प्रस्तुत होने के लिए बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(3) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी :

(i) उस बालक को हवालात में नहीं भेजेगा और बालक को नजदीकी पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपने में देरी नहीं करेगा। वह पुलिस अधिकारी पकड़े गए बालक को अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (2) के अधीन जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है अर्थात उसको गिरफ्तार किए जाने से चौबीस घंटे और इन नियमों के भीतर, समुचित नियमों के नियम 9 के अनुसार आदेश प्राप्त किए जाने तक किसी संप्रेक्षण गृह में तब तक के लिए भेज सकता है;

(ii) बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या अन्यथा बेड़ी नहीं पहनाएगा तथा बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं करेगा;

(iii) बालक को तुरंत और सीधे उन आरोपों की जानकारी उसके माता–पिता या संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी, जो उस पर लगाए गए हैं और यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति बालक को उपलब्ध कराई जाएगी या पुलिस रिपोर्ट की प्रति उसके माता–पिता या संरक्षक को दी जाएगी;

(iv) बालक को, यथास्थिति, उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसकी आवश्यकता बालक को हो;

(v) बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उससे बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस इकाई या बालकों के अनुकूल परिसरों या पुलिस थाने में बालकों के लिए ऐसे अनुकूल स्थान पर की जाएगी, जहां बालक को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या उसे हिरासत में रखकर उससे परिप्रश्न किए जा रहे हैं। पुलिस जब बालक से बातचीत करे तब उसके माता–पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं;

(vi) बालक से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहेगा; और

(vii) बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(4) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा।

(5) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और किसी अपराध में बालक की अभिकथित संलिप्तता के प्रत्येक मामले में उसे पकड़े जाने की परिस्थितियों की जानकारी प्ररूप 1 में अभिलिखित करेगा, जिसे तुरंत बोर्ड को भेजा जाएगा। सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी एकत्र करने के प्रयोजनार्थ, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के लिए बालक के माता–पिता या संरक्षक से संपर्क करना आवश्यक होगा।

(6) किसी जिले में सभी अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, अर्ध विधिक स्वयं सेवियों, जिला

विधिक सेवा प्राधिकरणों और रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक और गैर–सरकारी संगठनों, बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों और चाइल्ड लाइन सेवाओं की सूची और उनसे संपर्क के ब्यौरे प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाए जाएंगे।

(7) जब किसी ऐसे मामले में बालक को छोड़ा जाता है, जिसमें बालक को पकड़ने की आवश्यकता न हो, तब माता–पिता या संरक्षक या उस उपयुक्त व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को रखा गया है, गैर–न्यायिक कागज पर प्ररूप 2 में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, ताकि जांच या कार्यवाही की तारीखों को बोर्ड के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

(8) राज्य सरकार उन स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठनों या व्यक्तियों का पैनल रखेगी, जो परिवीक्षा, परामर्श, मामला कार्य सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ भी सहयुक्त होने की स्थिति में हों और जिन्हें बालक को चौबीस घंटे और कार्यवाही लंबित रहने की अवधि में बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त हो और ऐसे स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठनों या व्यक्तियों के पैनल की जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी।

(9) राज्य सरकार पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बालकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़े गए या उनकी देखरेख में रखे गए बालकों के उनके साथ रहने की अवधि के लिए उन बालकों के लिए भोजन और यात्रा खर्च तथा आकस्मिक चिकित्सीय देखरेख सहित आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराएगी।

नियम 69. बालकों का संस्थागत प्रबंधन—

रात भर का संरक्षणात्मक आवास 69(D)

(1) ऐसे आवास का प्रयोजन बालक को आवास प्रदान करना और एक विकल्प प्रदान करके उसे पुलिस स्टेशन या किसी अन्य अनुपयुक्त स्थान पर पूरी रात रखने से निवारित करना है।

(2) ऐसा आवास रात के 20.00 बजे के बाद और अगले दिन 14.00 बजे तक हो सकता है।

(3) प्राप्त करने वाले अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा रात भर के संरक्षणात्मक आवास के लिए भेजे गए लिखित आवेदन पर बालक को बाल देखरेख संस्था में एक रात के आवास की अनुमति दी जाएगी। आवेदन के साथ उन परिस्थितियों को जिनमें बालक को पकड़ा या पाया गया है और बालक की चिकित्सा स्थिति दर्शाने वाले सुसंगत दस्तावेजों की प्रति होगी।

(4) बालक की पहचान के बारे में समाधान होने पर, प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा बालक को प्राप्त किया जाएगा और प्ररूप 42 तीन प्रतियों में भरा जाएगा। प्ररूप की एक प्रति बाल देखरेख संस्था के अभिलेख के रूप में रखी जाएगी, एक प्रति बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को दी जाएगी और तीसरी प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी।

(5) बालक को अगले दिन प्ररूप में दिए गए समय पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में सौंप दिया जाएगा और प्ररूप की प्रति में उक्त बाल कल्याण अधिकारी से प्राप्ति ली जाएगी।

(6) यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी निर्दिष्ट समय पर बालक का प्रभार नहीं लेता है, बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट के साथ बालक को संबंधित बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) यह टिप्पणी करते हुए बालक को रात भर के संरक्षणात्मक आवास के लिए प्राप्त किया गया है, बालक के ब्यौरे, प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे।

(8) बालक की शारीरिक रूप से तलाशी ली जाएगी और उसका सभी व्यक्तिगत सामान, यदि कोई पाया जाता है, बाल कल्याण पुलिस

अधिकारी को जिसने बालक को प्रस्तुत किया है, सौंप दिया जाएगा और वह सभी वस्तुओं का अभिग्रहण करेगा और ऐसे अभिग्रहण की एक प्रति प्राप्तकर्ता अधिकारी को देगा।

(9) बालक को, यदि वह भूखा है, तो उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने एवं पीने के लिए भोजन प्रदान किया जाएगा।

(10) बालक को यथास्थिति स्वागत शयनागार या पृथक्करण इकाई में, रात के लिए रखा जाएगा।

नियम 86. विशेष किशोर पुलिस इकाई—(1) राज्य सरकार बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिला और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी और जहां कहीं विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित नहीं की जा सकती है, वहां पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के कम से कम एक अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाई के अन्य पुलिस अधिकारियों को बालकों से संबंधित मामलों में निपटाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाएगा।

(4) नामनिर्दिष्ट बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण और तैनाती अन्य पुलिस थानों की विशेष किशोर पुलिस इकाइयों या जिला इकाई में की जा सकेगी।

(5) बालकों से वार्तालाप करने वाला पुलिस अधिकारी जहां तक संभव हो सादा कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा और बालिकाओं के साथ पेश आने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा।

(6) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेगा और बालक की गरिमा और उसका आत्म सम्मान बनाए रखेगा।

(7) जहां कहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं जो बालक को असहज बना सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को विनम्र तरीके से पूछा जाएगा।

(8) जब किसी बालक के विरुद्ध अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता और पीड़ित बालक को सौंपी जाएगी और अन्वेषण पूरा होने के बाद, अन्वेषण की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की एक प्रति शिकायतकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपी जाएगी।

(9) किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाया जाएगा।

(10) विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास निम्नलिखित की सूची होगी :

(i) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बोर्ड और बाल कल्याण समिति, बैठक के उनके स्थान, बैठक के घंटे, बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों और बोर्ड और समिति के सामने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और

(ii) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बाल देखरेख संस्थाओं और उपयुक्त सुविधाओं के संपर्क ब्यौरों।

(11) विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम और संपर्क ब्यौरे पुलिस थानों, बाल देखरेख संस्थाओं, समितियों, बोर्डों और बाल न्यायालयों के प्रमुख भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे।

(12) विशेष किशोर पुलिस इकाई उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से संबंधित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी।

(13) विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी।

नियम 92. गुमशुदा बालक के बारे में जांच—(1) गुमशुदा बालक एक ऐसा बालक है जिसके ठिकाने की उसके माता–पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को जिसे बालक की अभिरक्षा विधिक रूप से सौंपी गई है, गायब होने की परिस्थितियां या कारण कुछ भी हों, जानकारी नहीं है और जब तक ढूंढ नहीं लिया जाता है या उसकी सुरक्षा और कल्याण को स्थापित नहीं किया जाता है, गुमशुदा और देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाएगा।

(2) जब किसी बालक के बारे में जो गुमशुदा है, शिकायत प्राप्त होती है, पुलिस तत्काल एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी।

(3) पुलिस बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सूचित करेगी और बालक को खोजने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई को प्रथम सूचना रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

(4) पुलिस निम्नलिखित करेगी :

(i) गुमशुदा बालक का नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त करेगी और जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, गुमशुदा व्यक्ति दल, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो/मीडिया आदि के लिए प्रतियां बनाएंगी;

(ii) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्ररूप भरेगी;

(iii) विशेष रूप से बनाए गए गुमशुदा व्यक्ति सूचना प्रपत्र को भरेगी और तत्काल गुमशुदा व्यक्ति दल, जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजेगी,

(iv) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रासंगिक सूचना अपलोड करने के बाद गुमशुदा बालक के माता–पिता या अभिभावक के पता और संपर्क फोन नम्बरों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति डाक/ई–मेल द्वारा निकटवर्ती विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी;

(v) गुमशुदा बालक के फोटो और शारीरिक ब्यौरे के साथ पर्याप्त संख्या में बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं को प्रकाशन के लिए भेजने के लिए तैयार करेगी;

(vi) गुमशुदा बालक के फोटो और ब्यौरे को (क) प्रमुख समाचार पत्रों (ख) टेलीविजन/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया (ग) स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क और सोशल मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित कर व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी और बाद में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करेगी;

(vii) लाउड स्पीकरों के उपयोग और बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं का वितरण करके और प्रमुख स्थानों पर चस्पा करके आस–पास के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी। सूचना को लोगों में फैलाने के लिए सोशल नेटवर्क पोर्टलों, संक्षिप्त संदेश सेवा अलर्ट और सिनेमा घरों में स्लाइडों का उपयोग किया जा सकता है;

(viii) शहर और कस्बे के सभी केंद्रों अर्थात् रेलवे स्टेशनों, बस स्टेण्डों, हवाई अड्डों, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं का वितरण;

(ix) रुचि के क्षेत्रों और स्थानों जैसे कि सिनेमा घरों, शॉपिंग मालों, पार्कों, मनोरंजन पार्कों, गेम्स पार्लरों में खोजना और ऐसे क्षेत्रों को जहां गुमशुदा और भाग के गए बालक बार–बार आते–जाते हैं, अभिनिर्धारित करना और उन पर नजर रखना;

(x) उस क्षेत्र के, जहां से बालक गुमशुदा होने की सूचना मिली है, आस–पास के क्षेत्र में और सभी संभावित मार्गों और बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों जैसे परागमन गंतव्य बिंदुओं और अन्य स्थानों पर लगे क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों की रिकार्डिंग को स्कैन करेगी;

(xi) निर्माणाधीन स्थलों, अनुप्रयुक्त भवनों, अस्पतालों और औषधालयों, चाइल्ड लाइन सेवाओं, और अन्य स्थानीय पहुंच कार्यकर्ताओं, रेलवे पुलिस, और अन्य स्थानों पर पूछताछ करना;

(xii) गुमशुदा बालकों के ब्यौरे पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो और सीमावर्ती पुलिस थानों के थाना अधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी पुलिस चौकियों के प्रभारियों को भेजेगी और संबंधितों से नियमित वार्तालाप करेगी ताकि अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

(5) जहां बालक को चार मास की अवधि के भीतर खोजा नहीं जा सकता है, मामले के अन्वेषण को जिला की मानव अवैध व्यापार रोधी इकाई को हस्तांतरित किया जाएगा जो अन्वेषण में हुई प्रगति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रत्येक तीन मास में रिपोर्ट भेजेगा।

(6) जब बालक को खोज लिया जाता है :

(i) उसे उपयुक्त निर्देश के लिए बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;

(ii) पुलिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजेगी जो बालक और उसके परिवार को परामर्श और समर्थन सेवाएं प्रदान करेगा; और

(iii) पुलिस जांच करेगी कि क्या बालक के साथ इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है और यदि ऐसा है तो तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

(7) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए जांच की रीति के लिए उपयुक्त मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार कर सकेगी।

प्ररूप–1

[नियम 8 (1), 8 (5)]

प्राथमिकी/डी.डी. संख्या .....

धारा के अधीन .....

पुलिस स्टेशन .....

अन्वेषण अधिकारी का नाम .....

सी. डल्ब्यू. पी. ओ. का नाम .....

1. नाम .....
2. पिता/माता/संरक्षक का नाम .....
3. आयु/जन्म की तारीख .....
4. पता .....
5. धर्म
   (i) हिन्दू (ओसी/बीसी/एससी/एसटी)
   (ii) मुस्लिम/इसाई/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
6. यदि बालक विकलांग है :
   (i) सुनने में अक्षम
   (ii) बोलने में अक्षम
   (iii) शारीरिक रूप से विकलांग
   (iv) मानसिक रूप से निःशक्त
   (v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
7. परिवार के ब्यौरे

क्र.सं.	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रुग्णता का इतिहास (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हो)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

8. घर छोड़ने के कारण .....

9. क्या अपराधों में परिवार के सदस्यों के लिप्त होने का पूर्ववृत्त है, यदि कोई हो।

   हाँ नहीं

10. बालक की आदतें

क	ख
(i) धूमपान	(i) टी.वी./फिल्में देखना
(ii) शराब का सेवन करना	(ii) अंतरंग खेल/बहिरंग खेल खेलना
(iii) औषधियों का उपयोग विनिर्दिष्ट करें	(iii) पुस्तकें पढ़ना
(iv) जुआ खेलना	(iv) ड्राइंग/पेंटिंग/एक्टिंग/गायन
(v) भीख मांगना	(v) कोई अन्य
(vi) कोई अन्य	

11. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई हों .....
12. आय के उपयोजन :
   (i) परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार को भेजी
   हाँ नहीं
   (ii) स्वयं द्वारा निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई :
   हाँ नहीं

(क)	पहनावा सामग्री	हाँ/नहीं
(ख)	जुए के लिए	हाँ/नहीं
(ग)	शराब के लिए	हाँ/नहीं
(घ)	औषधियों के लिए	हाँ/नहीं
(ङ)	धूम्रपान के लिए	हाँ/नहीं
(च)	बचत	हाँ/नहीं

13. बालक की शिक्षा के ब्यौरे :
   (i) निरक्षर
   (ii) पांचवीं कक्षा का अध्ययन
   (iii) पांचवीं कक्षा तक अध्ययन लेकिन कक्षा आठ से कम
   (iv) कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम
   (v) कक्षा दस के अधिक पढ़ाई की

14. स्कूल छोड़ने का कारण :
   (i) पिछली कक्षा जिसमें पढ़ रहा था, फेल हुआ
   (ii) स्कूल के कार्यकलापों में रुचि का अभाव
   (iii) अध्यापकों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार
   (iv) समकक्ष–समूह का प्रभाव
   (v) अर्जन और परिवार की मदद करना
   (vi) माता–पिता की असामयिक मृत्यु
   (vii) स्कूल में उत्पीड़न
   (viii) स्कूल का कड़ा वातावरण
   (ix) अनुपस्थिति के उपरांत स्कूल से भाग जाना
   (x) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव
   (xi) स्कूल में दुर्व्यवहार
   (xii) स्कूल में अपमान
   (xiii) शारीरिक दंड
   (xiv) शिक्षण का माध्यम
   (xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
15. पिछला स्कूल जहां अध्ययन किया उसके ब्यौरे :
   (i) निगम/नगर–निगम/पंचायत
   (ii) सरकारी अनु.जा. कल्याण स्कूल/पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
   (iii) प्राइवेट प्रबंधन
   (iv) एन.सी.एल.पी. के अन्तर्गत विद्यालय
16. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो .....
17. अधिकांश मित्र :
   (i) शिक्षित
   (ii) निरक्षर
   (iii) उसी आयु वर्ग के
   (iv) आयु में बड़े
   (v) आयु में छोटे
   (vi) एक ही लिंगके हैं

   (vii) अन्य लिंग के हैं
   (viii) लतें
   (ix) आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं
18. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा है : हाँ/नहीं

क्र.सं.	दुर्व्यवहार के प्रकार	अभ्युक्ति
1.	मौखिक दुर्व्यवहार—माता–पिता/सहोदर भाई–बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2.	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3.	लैंगिक दुर्व्यवहार/माता–पिता/सहोदर/ भाई–बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
4.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

19. क्या बालक किसी अन्य अपराध का पीड़ित है [हाँ] [नहीं]
20. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के ग्रुप द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को औषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ? [हाँ] [नहीं]
21. माता–पिता की उपेक्षा अथवा अधिक संरक्षण अथवा हम उम्र ग्रुप के प्रभाव आदि जैसे तथाकथित अपराध का कारण : .....
.....
22. वे परिस्थितियां जिनमें बालक को पकड़ा गया .....
.....
23. बालक से प्राप्त हुए सामान का ब्यौरा .....
.....
24. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका .....
.....
25. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुझाव .....
.....

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित

प्ररूप 17

[नियम 18 (2), 19 (25)]

बच्चों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट

मामला सं. .....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत गया किया .....

प्रस्तुत करने की तिथि ..... प्रस्तुत करने का समय .....

प्रस्तुत करने का स्थान .....

1. बच्चे का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण :
   - (i) व्यक्ति का नाम .....
   - (ii) उम्र .....
   - (iii) लिंग .....
   - (iv) पता .....
   - (v) संपर्क फोन संख्या .....
   - (vi) व्यवसाय/पदनाम .....
   - (vii) संगठन/बा.सं.सं./एसएए का नाम .....
2. प्रस्तुत किया गया बालक :
   - (i) नाम (यदि कोई है) .....
   - (ii) आयु (आयु लिखें/शक्ल सूरत के आधार पर आयु लिखें) .. ..
   - (iii) लैंगिकता .....
   - (iv) पहचान चिन्ह .....
   - (v) बच्चे की भाषा .....
3. माता–पिता/संरक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो) :
   - (i) नाम .....
   - (ii) आयु .....
   - (iii) पता .....

   - (iv) संपर्क (फोन) संख्या .....
   - (v) व्यवसाय .....
4. स्थान जहाँ बच्चा प्राप्त हुआ .....
5. उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गया :
   - (i) नाम .....
   - (ii) आयु .....
   - (iii) पता .....
   - (iv) संपर्क (फोन) संख्या .....
   - (v) व्यवसाय .....
6. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया ? .....
7. बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध/दुराचार का बच्चे द्वारा किया गया दोषारोपण .....
8. बच्चे की शारीरिक स्थिति .....
9. प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान .....
10. बच्चे के बा.सं.सं./एसएए में आने की तिथि और समय .....
11. बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरंत प्रयास ?.....
12. क्या बच्चे की चिकित्सा जांच की गई है ? .....
13. क्या पुलिस को सूचित किया गया है ? .....

बच्चों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

बच्चों को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान

पुलिस–स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई/पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/परिवीक्षा अधिकारी/ सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी/समाज कल्याण संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता/बा.सं.सं के प्रभारी व्यक्ति/एसएए/कोई भी नागरिक/स्वयं बालक अथवा बालिका (जो भी लागू हो, भरा जाए)।

प्ररूप 42

[नियम 69 (घ) (4)]

रातभर का संरक्षण प्रवास

.....(बालक का नाम) को.....आज पकड़ा गया है। ..... (संस्था का नाम) में रातभर के संरक्षण प्रवास की जरूरत हेतु रखा जाता है।

उक्त बालक को ..... (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, ... पुलिस स्टेशन .....) के द्वारा पेश किया गया है। बालक को संरक्षण प्रवास में रखने के लिए अपेक्षित आवेदन बालक की सामान्य सेहत स्थिति, जिसे संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत अनुशीलन किया गया है, वर्णित चिकित्सा रिपोर्ट के साथ लाया गया है।

उक्त बालक को ..... बजे संस्था में लाया गया है संबंधित अधिकार क्षेत्र के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अगले दिन ..... बजे (समय बताएं) या उससे पहले सुपुर्द कर दिया जाएगा।

बालक की व्यक्तिगत वस्तुओं की गहन छानबीन की गई है और निम्नलिखित वस्तुएं ..... (यदि कोई हों) संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई हैं।

अगर संबंधित बाल कल्याण अधिकारी नियत समय पर बालक को अभिरक्षा में लेने की रिपोर्ट करने में असफल होता है तो ऐसे बालक को बाल न्याय मण्डल/बाल कल्याण समिति के समक्ष संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीघ्र पेश किया जाएगा।

प्रतिलिपि :

1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
2. बोर्ड/समिति
3. संस्था का प्रभारी व्यक्ति

आज तारीख.....का 20

(हस्ताक्षर)
संस्था का प्रभारी व्यक्ति

(हस्ताक्षर)
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

❑❑❑